

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 09 / 2017 वाद

दायर दिनांक 01.03.2017

उनवान

1. कैलाश चन्द्र पिता प्रभुलाल जाति सोनी निवासी हथियाना तहसील कपासन।
वादी।

बनाम

1. भैरूलाल पिता चुन्ना जाति जाट निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन।
2. शंकर लाल पिता चुन्ना जाति जाट निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन।
3. किशन लाल पिता चुन्ना जाति जाट निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन।
4. प्रभुलाल पिता जयराम जाति जाट निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन।
5. नारायण पिता जयराम जाति जाट निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन।
6. बडौदा राजस्थान ग्रामीण शाखा कपासन जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. भूमिधारी तहसीलदार कपासन।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 19.12.2019

—:निर्णय:—

सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा शम्भुपुरा प0ह0 रूपाखेडी तहसील कपासन की आ0स0 414, 315, 459, 461, 462, 463, 408, 421, 327, 328, 420, 413 कुल किता-12 में वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 53 आर0टी एक्ट0 के तीन वाद प्रस्तुत किये जिसके प्रकरण संख्या 09/2017, 10/2017, व 13/2017 है। उक्त तीनों वादों में दिनांक 01.05.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा अलग-अलग बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उक्त बटवाडा रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होने से व वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करने से की उक्त तीनों वादों में पक्षकार समान है अतः एक ही बटवाडा रिपोर्ट मंगवाई जावे जिस पर पत्रांक /राजस्व/2019/108 दिनांक 02.09.2019 से तीनों वादों में एक ही मौका रिपोर्ट बाबत तहसीलदार कपासन को लिखा गया, जिस पर दिनांक 12.12.2019 को नवीन बटवाडा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के विरुद्ध दिनांक 03.05.2019 को व 1 व 2 के विरुद्ध दिनांक 30.05.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कोई आपत्ती प्रस्तुत नहीं हुई। अतः आज दिनांक 19.12.2019 को

वाद पत्र अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा शम्भुपुरा प0ह0 रूपाखेडी तहसील कपासन की आ0स0 414, 315, 459, 461, 462, 463, 408, 421, 327, 328, 420, 413 कुल किता-12 में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है।

1. कैलाश चन्द्र पिता प्रभुलाल जाति सोनी निवासी हथियाना तहसील कपासन

क्र.स.	खाता0स0	आ0स0	रकबा
1	108	414 मे से पूर्व में	0.09
2	109	413	0.17
3	82	421	0.31
4	82	408 मे से उत्तर की ओर	0.29
4	49	420	0.16
			1.02

2. किशनलाल पिता चुना जाति जाट 2/9, भैरूलाल पिता चुना जाति जाट 2/9, शंकरलाल पिता चुना जाति जाट 2/9, नारायण पिता जैराम जाति जाट 1/3

क्र.स.	खाता0स0	आ0स0	रकबा
1	108	414 मे से पश्चिम की ओर	0.27
			0.27

3. किशनलाल पिता चुना जाति जाट 1/6 रहन HDFC कपासन, शंकरलाल पिता चुना जाति जाट 1/6 रहन HDFC कपासन बैंक, नारायण पिता जैराम जाति जाट 1/4, प्रभु पिता जैराम जाति जाट 1/4, भैरूलाल पिता चुना जाति जाट 1/6,

क्र.स.	खाता0स0	आ0स0	रकबा
1	81	315	0.12
2	81	459	0.66
3	81	461	0.21
4	81	462	0.20
5	81	463	0.32
			1.51

4. किशनलाल पिता चुना जाति जाट 1/2 रहन HDFC बैंक कपासन हिस्से 1/2 पर, शंकरलाल पिता चुना जाति जाट 1/2 रहन HDFC बैंक कपासन हिस्से 1/2 पर

क्र.स.	खाता0स0	आ0स0	रकबा
1	82	408 में से दक्षिण दिशा में	0.32
			0.32

5. प्रभु पिता जैराम 47/156 जाति जाट, भैरूलाल पिता चुना जाति जाट 109/468, किशनलाल पिता चुना जाति जाट 109/468 रहन HDFC बैंक कपासन 5/26 हिस्से पर, शंकरलाल पिता चुना जाति जाट 109/468 रहन HDFC बैंक कपासन 5/26 हिस्से पर

क्र.स.	खाता0स0	आ0स0	रकबा
1	49	327	0.45
2	49	328	0.33
			0.78

रहन बदस्तुर रहें तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें, व साथ ही वाद पत्र 10/2017 व 13/2017 में समान पक्षकार होने से वाद पत्र 09/2017 के साथ हमकिता रहे उक्त निर्णय की सत्यापित प्रति 10/2017 व 13/2017 के शामिल फाईल रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन